झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

2 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) की अध्याय–48 की धारा–615 (4), 615 (6) का संशोधन

3 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–455 में स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –
   (i) यह विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (ii) यह अधिनियम "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015" कहा जायेगा।
   (iii) इस राजकीय गजट/ई–गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) की अध्याय–48 की धारा–615 (4), 615(6) का संशोधन :–

   (i) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615 की उपधारा–(4) को दिनांक–09.02.12 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

   (ii) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615 की उपधारा–(6) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

   अधिनियम की धारा 615 की उपधारा–(6) में वर्णित उपधारा–4 के संदर्भ को दिनांक–09.02.12 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

   (iii) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615 की उपधारा–8 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाता है :–

   खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, जो खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के तहत् गठित है, पूर्व की भांति यथावत क्रियाशील रहेगा, मानो कि झारखण्ड नगरपालिका, 2011 की धारा 615 आस्तित्व में आया ही न हो।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–455 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाता है :–

धारा–455. बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना ।

परन्तु ऐसा परिसर, जो झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के धारा–90 (क) के अधीन बाजार क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो अथवा किया जाए, वहाँ ऐसी वस्तुओं जिनके लिए झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन बाजार शुल्क प्रभार्य है, उनकी बिक्री अथवा हस्तांतरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यह विधेयक झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची 71(एल०ए०)--50--6-1-2016 ।